न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/6975 दिनांक – 28/11/23

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 खेराजराम 2 धमाराम 3 चौलाराम पिसरान दौलाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।		1 गोमाराम पुत्र वागाराम 2 दुर्गाराम पुत्र हेमाराम 3 जेतीदेवी पत्नी ठाकराराम 4 हड़ुमानराम 5 जोगाराम 6 लिछुराम पिसरान ठाकराराम 7 चुतराराम पुत्र बनाराम 8 मूलाराम पुत्र हेमाराम 9 भोमाराम पुत्र पेमाराम 10 भेराराम पुत्र सुरताराम जाति जाट निवासी अणदे का तला, जाखड़ों की ढाणी, तहसील व जिला बाडमेर 11 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :— 417/2023 दिनांक— 27/10/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा अणदे का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 655 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 698/568 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खसरा संख्या 750/656 रकबा 4.2492 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक— 28/11/23

क्रमांक :— रीडर/2023/6976-79

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खेराजराम पुत्र दौलाराम वगेहरा जाति जाट निवासी अणदे का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी गोमाराम पुत्र वागाराम वगैराह जाति जाट निवासी अणदे का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर